न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 02 सन 2022
अनवान :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. रामानन्द पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. सुखदेव पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. कृष्ण पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. मनीराम पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत 84–86 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– परोकार राज
स्वय अप्रार्थीगण
निर्णय दिनांक :– 18/02/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि पेरोकार राज ने प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84–86 के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 134 की कुल 0.506हैक सयुक्त खाते में अन्य काश्तकारो के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें 20 पेड किकर व एक पेड खेजडी के हरे पेड खडे थे अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एक राय होकर दिनांक 13.01.2022 को काट लिये गये ।

उक्त हरे पेडों को काटने की शिकायत प्रस्तुत होने पर जांच पटवारी हल्का/भू.अ. निरीक्षक से करवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 134 की कुल 0.506हैक सयुक्त खाते में अन्य काश्तकारो के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है मे सें अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 ने 21 हरे पेड काटे गये है जो मोके पर पाये गये जिन्हे ओमप्रकाश पुत्र हरिसिह की सर्पुदगी में दी गई।

अतः अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने बिना अनुमति के हरे वृक्षों को काटा है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 86 की अवहेलना की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कानुनी कार्यवाही की जावे।

पेरोकार राज का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 स्वय उपस्थित आकर जबाब पेश किया की अप्रार्थीगण की सयुक्त खाते की भूमि थी जिसमें से अप्रार्थीगण के कब्जा काश्त की भूमि उबड खाबड कई वर्षो से काश्त नही करने के कारण अप्रार्थी की भूमि पर विदेशी किकर झाड झखाड खडे हो गये थे जिन्हे काटा गया था मजदुरों को मजदुरी देने पर विवाद होने पर शिकायत की गई है अप्रार्थी की भूमि पर खडे विदेशी किकर झाड झखाड को भूमि सूधार करने के लिये काटा गया है अप्रार्थी के विरूद्व झुठी शिकायत की गई है अप्रार्थी के विरूद्व कार्यवाही ड्रोप फरमावे जबाब शामिल मिसल किया गया

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई बहस के दौरान पटवारी हल्का उपस्थित रहा।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 134 की कुल 0.506हैक सयुक्त खाते में अन्य काश्तकारो के साथ मुश्तरका खाते में दर्ज है जिसमें 20 पेड किकर व एक पेड खेजडी के हरे पेड खडे थे अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 एक राय होकर दिनांक 13.01.2022 को काट लिये गये बिना अनुमति हरे पेड काटने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्व,कार्यवाही फरमावे।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की अप्रार्थीगण की सयुक्त खाते की भूमि में से अपने कब्जा काश्त की भूमि को काफी समय से काश्त नही किया गया था उबड खाबड पडी से जिसे काश्त योग्य बनाने के लिये भूमि पर खडी विदेशी कटीली किकर झाड झखाड को काट कर भूमि को काश्त योग्य बनाया गया था अप्रार्थीगण के विरुद्व झुठी शिकायत की गई है जानबुझ कर किसी नियम की अवहेलना नही की गई है अप्रार्थी के विरुद्व कार्यवाही ड्रोप फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 14 डीपीएन के खाता संख्या 134 में अप्रार्थी के नाम मुश्तरका खतो में भूमि होना एवं जिसमें पेड खेडे होना अप्रार्थीगण स्वीकार करता है।

पेरोकार राज का कथन यहा तक तो साबित होता है कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि मे पेड खडे थे जिन्हे काटा गया है पटवारी हल्का ने व्यक्त किया की अप्रार्थीगण ने विलायती किकर के 20 पेड काटे गये है ।

अप्रार्थी का कथन है कि उसके द्वारा अपनी खातेदारी भूमि जो वर्षो से कास्त नही होने के कारण बजड हो रही थी को सुधार करने के लिये भूमि पर खडे विदेशी किकर झाड झखाड को काटा जाकर भूमि सुधार की गई है अप्रार्थीगण का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि अप्रार्थी का कथन पटवारी हल्का के कथनों के अनुसार है

पटवारी हल्का की फर्द मोका रिपोर्ट में एक खेजडी का पेड काटना अंकित किया किन्तु यह अंकित नही किया की खेजडी कौनसी देशी खेजडी थी या कटीली विदेशी खेजडी थी स्पष्ट अकित नही किया गया है ना ही अपने कथनों मे स्पष्ट व्यक्त किया गया है।

अप्रार्थी ने निवेदन किया की उसने अपनी भूमि सुधार करने के लिये झाड झखाड को भूमि सुधार की लिये काटा गया है जो बबूल के झाड झखाड होना पाया जाने के कारण अप्रार्थीगण के द्वारा राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 86 की अवहेलना किया जाना साबित नही हो पाया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को बबुल के झाड झखाड जिन्हे काटने की अनुमति की आवश्यकता नही है भूमि सूधार के लिये काटा जा सकता है किन्तु खेजडी का पेड काटना सन्देहास्पद है जिसके लिये अप्रार्थी को शास्ति से दण्डित किया जाना न्यायोचित है अतः अप्रार्थीगण को खेजडी का पेड काटने का दोषी पाये जाने पर 100/- रू शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा जब्त शुद्रा खेजडी की लकडीयों को नियमानुसार निलाम किया जाकर राशि राजकोष में जमा करवाई जावे आदेश की प्रति तहसीलदार नोहर को भिजवाई जाकर निर्देशित किया जाता है कि शास्ति राशि का राजस्व लेखों में अंकन किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 से वसूल किया जाना सुनिश्चित करे

व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/02/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
नोहर

क्रमांक : राजस्व / रीडर / 2020 / 555 दिनांक :– 21/02/2022

तहसीलदार राजस्व
नोहर ।

विषय :– प्रकरण संख्या 02 / 2022 अनवानी सकरार बनाम रामानन्द में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बध मे।

प्रंसग :– अनवान :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

1 रामानन्द पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
2. सुखदेव पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
3. कृष्ण पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।
4. मनीराम पुत्र हेमराज जाति कुम्हार निवासी रामगढ तहसील नोहर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 84–86

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 02 / 2022 अनवानी सरकार बनाम रामानन्द में दिनांक 18/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर अप्रार्थी को शास्ती से दण्डित किया गया है एवं जब्त लकडीयों को निलामी के आदेश पारित किये गये है निर्णय की प्रति इस पत्र के सलग्न कर भिजवाई जा रही है निर्णय अनुसार कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे।

सलग्न :– निर्णय प्रति

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)
उपखण्ड अधिकारी नोहर

Scanned with CamScanner